# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-115 RAAJodhpur2024-41 RTA223 Fata ors Vs Khalak etc

01. फता पुत्र श्री अमीरदीन
02. खेरखातून पत्नी श्री मेहरदीन
03. दोष मोहम्मद पुत्र मेहरदीन
04. इलमदीन पुत्र मेहरदीन
सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण– ग्राम कानासरिया, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

—— अपीलाण्ट्स

**ब**

**ना**

**म**

1. खालक खां पुत्र मीरा उर्फ मीरखां
2. निजामदीन पुत्र फकरे खां
3. जमालदीन पुत्र नूरमोहम्मद
4. जेनफ खातून पत्नी जमालदीन
सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण– कानासरिया, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी।

—— रेस्पोडेण्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2024 राजस्व मूल वाद संख्या 81/2018 मीरा उर्फ मीरेखां के कायम मुकाम बनाम निजामदीन इत्यादि**

—— 0 ——

**उपस्थित –**
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1, 3 व 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 5
**शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।**

## नि र्ण य

**दिनांक : 22 अक्टूबर 2024**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 81/2018 अनवान मीरा उर्फ मीरेखां के कायम मुकाम बनाम निजामदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 11 मार्च 2024 को पेश की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के तहत एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 76 एवं 80 कुल रकबा 115 बीघा, ख्सरा नं. 78 एवं 79 गैर मुमकिन ढाणी ग्राम कानासरिया, तहसील फलोदी के संबंध में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन किये जाने, खसरा नं. 78 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में वादी मीरे खां के साथ–साथ वादी संख्या दो व तीन तथा प्रतिवादी संख्या एक से तीन का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का जवाब मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी फकरे खां, अमीरदीन पिसरान् फररूखां के कब्जा काश्त में थी। वे ही काश्त करते थे। सेटलमेंट से पहले उनकी बहन कवरू पत्नी खुदाबक्स जो कि कम आयु में विधवा हो गई एवं अपने भाईयों के साथ कानासरिया में फकरे खां इत्यादि के साथ आकर रहने लगी तो उसे मानवता के नाते उसके भाईयों ने उसे एक ढाणी बनाकर रहने के लिए दी एवं संपूर्ण भूमि का 1/3 हिस्सा कवरू को काश्त हेतु दे दिया। वक्त बंदोबस्त के वक्त गलती से संपूर्ण कृषि भूमि का पर्चालगान तैयार करते वक्त मीरे खां इत्यादि 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जबकि उनका 1/3 हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए था। मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आज भी उनका 1/3 हिस्से पर ही कब्जा काश्त है तथा इसी अनुसार तारबंदी की हुई है। मीरखां का 1/2 भाग पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस बारे में गलत इन्द्राजों के शुद्धिकरण हेतु सामाजिक स्तर पर कई बार पंचायती भी हुई, किंतु मीरखां इत्यादि हमेशा टालमटोल करते रहे। अंत में उनके वारिसानों ने राजस्व रेकर्ड के इन्द्राजों का फायदा उठाते हुए वाद बाबत विभाजन कृषि जोत पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब मय काउंटर क्लेम स्वीकार किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2024 के जरिये प्रतिवादीगण के कांउटर क्लेम पर निर्णय पारित किये बिना वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को निर्णित ही नहीं किया एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहादत को बिल्कुल ही नजरअंदाज करते हुए वादीगण के दावे को मनमाने ढंग से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के जिस दस्तावेज को आधार मानकर निर्णय किया, वह सहादत विश्वास योग्य ही नहीं है। वादीगण बिंदु संख्या एक को कतई साबित नहीं कर सके। विचारण न्यायालय द्वारा वाद बिंदु संख्या एक को केवल जबानी सहादत के आधार पर निर्णित कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं जबानी सहादत से यह प्रमाणित है कि उनका वादग्रस्त आराजी में उनका 2/3 हिस्सा तथा वादीगण का 1/3 हिस्सा है। इस संदर्भ में प्रतिवादीगण द्वारा वक्त सेटलमेंट पूर्व की पर्चा खतौनी पेश की गई, जिस पर विचारण न्यायालय ने गौर भी नहीं किया एवं न निर्णय करते समय उसका उल्लेख किया, जबकि उक्त दस्तावेज महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर वाद बिंदु संख्या दो प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाना चाहिए था।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया और बिना सुनवाई के अंतिम फैसला कर दिया। दिनांक 12.02.2024 को केवल अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 09 सीपीसी पर बहस सुनी गई और आगामी पेशी वास्ते आदेश 11.03.2024 मुकर्रर की गई तथा दिनांक 20.02.2024 को पीठासीन अधिकारी का तबादला हो गया। अक्समात् पेशी से पहले दिनांक 15.02.2024 को फैसला हो गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में पारदर्शिता का अभाव रहा है। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थल निरीक्षण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था ताकि पत्रावली पर मौके के हालात बाबत पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सहादत का विश्लेषण करने में न्यायालय को मदद मिल सके, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में विरोधाभासी निष्कर्ष दिये है। एक तरफ तो विचारण न्यायालय का यह कहना है कि वादीगण अपना संपूर्ण हिस्सा बेच चुके है, जबकि उसके स्थान पर क्रेता को स्थापित नहीं किया तो वादी को अपना वाद बनाये रखने का कोई अधिकार ही नहीं है, इस बिना पर भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2024 को अपास्त किया जाकर प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम को स्वीकार किया जावे एवं डिक्री पारित फरमायी जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड मुताबिक वादग्रस्त आराजी में वक्त सेटलमेंट 1/2 हिस्सा मीरा पुत्र खुदाबक्श व 1/2 हिस्सा फजरू खां खानू खां पिसरान् हकालखां के नाम रहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वक्त सेटलमेंट से ही 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। राजस्व शिविर में मीरा ने अपने छोटे भाई नूर खां व मोहम्मद शरीफ को अपने 1/2 हिस्से में खातेदार दर्ज करने की सहमति प्रदान करने पर न्यायालय के निर्णय की पालना में वादीगण के नाम वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण के नाम 1/2 हिस्सा रखा गया था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आदेश की किसी न्यायालय में चुनौती प्रदान नहीं की गई है। वादीगण द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा जो विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउंटर क्लेम के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे साबित हो कि वादग्रस्त आराजी पर उनका 2/3 हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादी के वाद–पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्नानुसार विवाद्यक तय कियेः–

01. आया वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 76 रकबा 48.09 बीघा, खसरा नं. 80 रकबा 66.14 बीघा कुल 115 बीघा 3 बिस्वा का बंटवाड़ा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में करवाकर वादीगण 1/2 हिस्सा अलग दर्ज करवाने के हकदार है?(जिम्मे वादीगण)
02. आया वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 76 एवं 80 में प्रतिवादीगण संख्या एक ता तीन अपना 2/3 हिस्सा के खातेदार घोषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करवाने और माफिक नजरी नक्शा बंटवाड़ा करवाने के हकदार है?( जिम्मे प्रतिवादीगण)

03. दादरसी?

विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यकों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष की साक्ष्य ली गई तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा केवल वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों पर गौर किये बिना तथा उन पर विवेचन किये बिना काउंटर क्लेम पर किसी प्रकार का निर्णय पारित हीं नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

इसके अलावा मूल वाद में आराजी खसरा नं. 78 व 79 के संबंध में भी अनुतोष चाहा गया। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन खसरान् की भूमि बाबत कोई तनकी कायम नहीं की गयी और कोई विनिश्चयन भी नहीं किया गया। जिससे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपूर्ण पाये जाते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 81/2018 अनवान मीरा उर्फ मीरेखां के कायम मुकाम बनाम निजामदीन इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2024 को अपास्त किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत वाद एवं कांउटर क्लेम पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई–प्रथम)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर